संख्या-16/2016/747/22-2-2015-17(167)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन पुत्र श्री बदलू निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15646/पर-3(एम-05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन पुत्र श्री बदलू निवासी ग्राम-कटेसर खमरिया, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। चचेरे भाई की जमीन हडपने एवं अपने नाम लिखवाने के लालच के कारण बंदी के 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22/23-09-1993 की रात्रि करीब 01:30 बजे कांता से हमला कर एवं गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 27-03-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30-04-2014 तक 14 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24-09-2013 को बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन पुत्र श्री बदलू निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन (बन्दी संख्या-35393) पुत्र श्री बदलू निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा

http://shasanadesh.up.nic.in

रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-747/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-747/22-2-2015-17(167)/2015

दिनांक 14 मार्च, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन (बन्दी संख्या-35393) पुत्र श्री बदलू निवासी ग्राम-कटेसर खमरिया, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। चचेरे भाई की जमीन हडपने एवं अपने नाम लिखवाने के लालच के कारण बंदी के 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22/23-09-1993 की रात्रि करीब 01:30 बजे कांता से हमला कर एवं गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 27-03-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30-04-2014 तक 14 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24-09-2013 को बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोठे उर्फ मोहिद्दीन पुत्र श्री बदलू निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in